

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28092021-230019
SG-DL-E-28092021-230019

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/ आश्विन 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 186
No. 276]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 186

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

सं. फा. 5/बीयूडीएसए/2020/सीएफ/74/डीएस IV/857.—अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 21) की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा प्रधान सचिव/सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सक्षम प्राधिकारी तथा अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम, 2019 की धारा 7 के अर्न्तगत, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के जिला मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी के सहायक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप-सचिव IV (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th September, 2021

No. F. 5/BUDSA/2020/CF/74/DSIV/857.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No.21 of 2019), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Principal Secretary / Secretary (Revenue), Government of National Capital Territory of Delhi, as the Competent Authority and District Magistrate of Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi in their respective Jurisdictions, as officers to assist the Competent Authority under section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019.

By Order and in the Name of Government
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)